राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्

द्वितीय एवं तृतीय तल, ब्लॉक–5, डॉ0 राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17

फोन नं: 0141–2705484 शिक्षा का अधिकार सर्व शिक्षा अभियान सब पढ़ें सब बढ़ें फैक्स: 0141–2701822
email_rajssa_ied@yahoo.co.in

क्रमांक : राप्राशिप / जय / आईईडी / संदर्भ कक्ष जॉब चार्ट / 2017–18 / 8348 दिनांक 27/10/17

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा)
एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
सर्व शिक्षा अभियान,
समस्त–जिले

जिला शिक्षा अधिकारी (मा0शि0) प्रथम/द्वितीय
एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक,रामाशिअ,
समस्त–जिले

विषय :– एसएसए एवं रमसा में कार्यरत संदर्भ व्यक्ति (CWSN) एवं वरिष्ठ अध्यापक (विशेष शिक्षा) हेतु निर्धारित जॉब चार्ट के संबंध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सर्व शिक्षा अभियान एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के समावेशित शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत संदर्भ कक्ष पर कार्यरत संदर्भ व्यक्ति (CWSN) एवं वरिष्ठ अध्यापक (विशेष शिक्षा) हेतु निर्धारित जॉब चार्ट के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही संपादित की जानी है :–

1. संदर्भ व्यक्ति (**CWSN**) एवं वरिष्ठ अध्यापक हेतु निम्नानुसार निर्धारित जॉब चार्ट के अनुसार कार्य सपांदित करेंगे :–

संदर्भ व्यक्ति (CWSN) एवं वरिष्ठ अध्यापक हेतु जॉब चार्ट

Day & Time	संदर्भ व्यक्ति (CWSN) एवं वरिष्ठ अध्यापक (मानसिक विमन्दित) (MR) समय – विद्यालय समयानुसार (शिविरा पंचागानुसार)	संदर्भ व्यक्ति (CWSN) एवं वरिष्ठ अध्यापक (दृष्टि बाधित) (VI) समय – विद्यालय समयानुसार (शिविरा पंचागानुसार)	संदर्भ व्यक्ति (CWSN) एवं वरिष्ठ अध्यापक (श्रवण बाधित) (HI) समय – विद्यालय समयानुसार (शिविरा पंचागानुसार)
Monday	Resource Room + Data updation	2 School + Data updation	2 School + Data updation
Tuesday	Resource Room +Data updation	2 School + Data updation	2 School+ Data updation
Wednesday	2 School + Data updation	Resource Room+ Data updation	2 School+ Data updation
Thursday	2 School + Data updation	Resource Room + Data updation	2 School+ Data updation
Friday	2 School + Data updation	2 School + Data updation	Resource Room + Data updation
Saturday	2 School + Data updation	2 School + Data updation	Resource Room + Data updation

नोटः– 1. समय शिविरा पंचागानुसार लागू रहेगा। 2. संदर्भ कक्ष पर एक ही संदर्भ व्यक्ति (CWSN) अथवा वरिष्ठ अध्यापक (विशेष शिक्षा) की उपलब्धता की स्थिति में तीन दिवस संदर्भ कक्ष पर उपस्थिति सुनिश्चित करें । 3. संदर्भ कक्ष पर दो संदर्भ व्यक्ति (CWSN) अथवा वरिष्ठ अध्यापक (विशेष शिक्षा) की उपलब्धता की स्थिति में दोनो तीन–तीन दिवस संदर्भ कक्ष पर उपस्थिति सुनिश्चित करें ।

- संदर्भ कक्ष का समय शिविरा पंचागानुसार रहेगा।
- संदर्भ व्यक्ति (CWSN) एवं वरिष्ठ अध्यापक (विशेष शिक्षा) द्वारा सप्ताह में दो दिवस संदर्भ कक्ष पर उपस्थित रहकर बालक–बालिकाओं को शैक्षिक एवं थैरेपिक संबलन का प्रदान किये जायेंगे। सोमवार एवं मंगलवार को मानसिक विमन्दित (MR), बुधवार एवं गुरूवार को दृष्टिबाधित (VI) तथा शुक्रवार एवं शनिवार को श्रवण बाधित (HI) क्षेत्र के संदर्भ व्यक्ति (CWSN) / वरिष्ठ अध्यापक (विशेष शिक्षा) द्वारा संदर्भ कक्ष पर शैक्षिक एवं थैरेपिक संबलन का प्रदान किया जायेगा। संदर्भ कक्ष के अलावा सप्ताह के शेष दिवस में प्रत्येक दिवस कम से कम ब्लॉक के दो विद्यालयों में शैक्षिक एवं थैरेपिक संबलन प्रदान किया जायेगा।

www.rajteachers.com

- यदि संदर्भ कक्ष पर दो संदर्भ व्यक्ति (CWSN) अथवा वरिष्ठ अध्यापक (विशेष शिक्षा) की उपलब्धता की स्थिति में दोनो तीन–तीन दिवस संदर्भ कक्ष पर उपस्थिति देंगे एवं तीन–तीन दिवस ब्लॉक के अन्य विद्यालयों में शैक्षिक संबंलन प्रदान करेंगे।
- संदर्भ कक्ष पर एक ही संदर्भ व्यक्ति (CWSN) अथवा वरिष्ठ अध्यापक (विशेष शिक्षा) की उपलब्धता की स्थिति में अधिकांश समय संदर्भ कक्ष पर उपस्थित रहकर आवश्यकतानुसार मध्याह्न पश्चात एक विद्यालय में शैक्षिक संबंलन प्रदान करेंगे।
- संदर्भ व्यक्ति (CWSN) एवं वरिष्ठ अध्यापक (विशेष शिक्षा) द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं की सूची संबंधित विद्यालय के संस्थाप्रधान को आवश्यक रूप से उपलब्ध करवायी जाये।
- क्षेत्र के विद्यालयों को विभाजन करते हुए संपूर्ण ब्लॉक के विद्यालयों को शैक्षिक संबंलन हेतु क्षेत्र का निर्धारण किया जाये। संदर्भ व्यक्ति (CWSN) एवं वरिष्ठ अध्यापक (विशेष शिक्षा) को समान अनुपात में विद्यालयों का आवंटन संस्थाप्रधान द्वारा किया जायेगा।
- संदर्भ व्यक्ति (CWSN) प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा वरिष्ठ अध्यापक (विशेष शिक्षा) राउमावि/उमावि में शैक्षिक संबंलन प्रदान करेंगे।
- कक्षा 1 से 8 तक सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत संचालित गतिविधियों का एवं कक्षा 9 से 12 तक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं हेतु पृथक–पृथक गतिविधियों का पूर्व में जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप संचालन किया जायेगा
- सर्व शिक्षा अभियान द्वारा कक्षा 1 से 8 तक विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं हेतु दिये गये भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यानुसार संदर्भ व्यक्ति (CWSN) द्वारा गतिविधियों का संचालन किया जायेगा एवं वरिष्ठ अध्यापक (विशेष शिक्षा) सहयोग प्रदान करेंगे।
- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान द्वारा कक्षा 9 से 12 तक विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं हेतु दिये गये भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यानुसार वरिष्ठ अध्यापक (विशेष शिक्षा) द्वारा गतिविधियों का संचालन किया जायेगा एवं संदर्भ व्यक्ति (CWSN) सहयोग प्रदान करेंगे।
- राजकीय विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं हेतु बाधारहित वातावरण की उपलब्धता के लिए संस्थाप्रधान/शिक्षकों को परामर्श/तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना।
- संदर्भ कक्षों वाले राउमावि/रामावि/राउप्रावि के संस्थाप्रधान परिषद् स्तर से जारी दिशा–निर्देशों का आवश्यक रूप से अध्ययन करेंगे एवं उनके अनुसार कार्यवाही करेंगे। समस्त संस्थाप्रधानों द्वारा संदर्भ व्यक्ति (CWSN) एवं वरिष्ठ अध्यापक (विशेष शिक्षा) के जॉब चार्ट के अनुसार ही कार्य करवायेंगे।
- संदर्भ कक्षों वाले विद्यालय के संस्थाप्रधान द्वारा संदर्भ कक्ष के सुलभ संचालन हेतु बडा कक्ष दिया जावे जिसमें सामान अच्छी तरह से सुव्यवस्थित हो सके जिससे बालक–बालिकाओं को सुगमता से थैरेपिक संबंलन प्रदान किया जा सके।

संदर्भ व्यक्ति (CWSN) **एवं वरिष्ठ अध्यापक (विशेष शिक्षा) हेतु करणीय कार्य :–**

- ब्लॉक के समस्त विद्यालयों में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं का चिन्ह्रीकरण करना।
- ब्लॉक अन्तर्गत अनामांकित विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं का चिन्ह्रीकरण करना तथा विद्यालय में नामांकन सुनिश्चित करवाना।
- संदर्भ कक्षों पर कार्यरत संदर्भ व्यक्ति (CWSN) एवं वरिष्ठ अध्यापक (विशेष शिक्षा) द्वारा उनके अन्तर्गत आने वाले ब्लॉक के समस्त विद्यालयों के विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं की सूची तैयार करना।
- ब्लॉक के समस्त विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं की केस हिस्ट्री तैयार करना।
- विद्यालय स्टॉफ से सम्पर्क करना एवं बालक–बालिकाओं का आवश्यकतानुसार कक्षा प्रबंधन।

www.rajteachers.com

- संदर्भ व्यक्ति (CWSN) एवं वरिष्ठ अध्यापक (विशेष शिक्षा) द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं की सूची संबंधित विद्यालय के संस्थाप्रधान को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराना।
- समस्त विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं का विवरण शाला दर्शन/शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड करवाना।
- होमबेस्ड एज्यूकेशन हेतु कार्य योजना तैयार कर तद्नुसार क्रियान्वयन करना ।
- समावेशित शिक्षा के तहत आयोजित विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों में दक्ष प्रशिक्षक की भूमिका निर्वहन करना।
- संदर्भ व्यक्ति (CWSN) एवं वरिष्ठ अध्यापक (विशेष शिक्षा) द्वारा ब्लॉक के पात्र दिव्यांग बालक–बालिकाओं की आवश्यकतानुसार Individualized Education Plan (IEP) तैयार करना। संदर्भ व्यक्ति (CWSN) एवं वरिष्ठ अध्यापक (विशेष शिक्षा) द्वारा प्रत्येक विजिट के दौरान आईईपी को अपडेट किया जाकर कार्य संपादन करना।
- ब्लॉक के समस्त पात्र विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं को समावेशित शिक्षा की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करवाना।
- पात्र बालक–बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन करवाना, ट्रॉंसपोर्ट/एस्कॉर्ट भत्ता दिलवाना, फंक्शनल असेसमेन्ट कैम्प, साईट रेस्टोरेशन/पोलियो करैक्शन सर्जरी, अंग–उपकरण वितरण कैम्प से लाभान्वित करवाना।
- दिव्यांगो के लिए विद्यालय स्टाफ, अभिभावकों को केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान कर उन्हें लाभान्वित करवाना।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति विद्यालय/समाज में सकारात्मक एवं सहयोगात्मक दृष्टिकोण विकसित करना।
- विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं के प्रभावी शिक्षण हेतु समस्त अध्यापकों को कक्षा–कक्ष प्रबंधन, सिखाने की तकनीकों, विशेष शिक्षण सामग्री तैयार करने एवं इसके उपयोग के संबंध में जानकारी प्रदान करना।
- कक्षा अध्यापक से सम्पर्क एवं शिक्षक द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शैक्षिक प्रगति पर चर्चा व समस्या समाधान करना।
- विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं की आवश्यकतानुसार लक्ष्यों का निर्धारण करना एवं इसके क्रियान्वयन हेतु अपेक्षित जानकारी संबंधित अध्यापक को प्रदान करना। विद्यालय की आगामी विजिट के दौरान समय–समय पर प्रत्येक विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिका के अधिगम स्तर का मूल्यांकन करते हुए शिक्षक एवं बालक–बालिकाओं को अपेक्षित संबलन प्रदान करना।
- विजिट के दौरान अभिभावकों के साथ चर्चा करते हुए बालक के विकास में उनकी अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करना।
- एसएमसी/एसडीएमसी की मीटिंग में सदस्यों के साथ चर्चा कर समावेशित शिक्षा की गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रदान करना।
- बालक–बालिका को पूर्व में उपलब्ध कराये गए उपकरणों की जानकारी प्राप्त कर मरम्मत योग्य उपकरणों की सूची तैयार कर जिला कार्यालय को भिजवाना।
- कक्ष में उपलब्ध प्रत्येक उपकरण की मैन्टीनैन्स एवं फंक्शनिंग सुनिश्चित करना।
- मूवमेन्ट रजिस्टर का नियंत्रण विद्यालय के संस्थाप्रधान द्वारा किया जायेगा एवं संदर्भ व्यक्ति (CWSN) एवं वरिष्ठ अध्यापक (विशेष शिक्षा) हेतु निर्धारित कार्य संपादन का उत्तरदायित्व संबंधित विद्यालय के संस्थाप्रधान का होगा।
- संदर्भ व्यक्ति (CWSN) एवं वरिष्ठ अध्यापक (विशेष शिक्षा) को राजकीय अवकाशों में आवश्यकता की स्थिति में कार्य पर बुलाया जा सकेगा तथा इस हेतु कोई अतिरिक्त मानदेय देय नही होगा।

www.rajteachers.com

संदर्भ कक्ष वाले विद्यालय के संस्था प्रधान का दायित्व :–

- संदर्भ व्यक्ति (CWSN) एवं वरिष्ठ अध्यापक (विशेष शिक्षा) के साथ मिलकर सन्दर्भ कक्ष के प्रभावी उपयोग की कार्य योजना तैयार करना।
- आवश्यकता होने पर विद्यालय के शिक्षक अथवा सहायक कर्मी को संदर्भ व्यक्ति (CWSN) एवं वरिष्ठ अध्यापक (विशेष शिक्षा) की सहायता हेतु उपलब्ध कराना।
- संदर्भ कक्ष के समय पर खुलने व संदर्भ व्यक्ति (CWSN) एवं वरिष्ठ अध्यापक (विशेष शिक्षा) की निर्धारित दिवस में उपलब्धता की मॉनीटरिंग करना।
- संदर्भ व्यक्ति (CWSN) का उपस्थिति रजिस्टर संधारित करना तथा विजिट रिपोर्ट एवं यात्रा बिल प्रमाणित करना।
- प्रति सप्ताह कम से कम दो होमबेस्ड एज्यूकेशन वाले बालक–बालिकाओं के घर पर जाकर प्रगति की समीक्षा करना।
- संदर्भ कक्ष में आने वाले बालक–बालिकाओं को यात्रा व्यय का भुगतान करना।
- समय–समय पर परिषद मुख्यालय से जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्य संपादन करना।
- संदर्भ व्यक्ति (CWSN) एवं वरिष्ठ अध्यापक (विशेष शिक्षा) का परिषद् द्वारा निर्धारित जॉब चार्ट के अनुसार ही कार्य सुनिश्चित करना। **किसी भी परिस्थिति में अन्य कार्यो यथा–कक्षागत विषय शिक्षण एवं शाला संबंधी कोई भी प्रभार आदि नही दिये जावें, जिससे कि समावेशित शिक्षा की गतिविधियों/विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं की शिक्षा, सम्बलन प्रभावित हो।**
- समस्त जिला परियोजना समन्वयक उपर्युक्तानुसार कार्य संपादन करवाते हुए प्रत्येक माह की 10 तारीख तक संदर्भ व्यक्ति (CWSN) एवं वरिष्ठ अध्यापक (विशेष शिक्षा)के द्वारा प्रस्तुत अवलोकन प्रपत्र वेबपोर्टल पर अपलोड कराते हुए मासिक रिपोर्ट परिषद मुख्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करना।

(आनंदी)
राज्य परियोजना निदेशक
रामाशिप, जयपुर

(डॉ0 जोगाराम)
आयुक्त
राप्राशिप, जयपुर

क्रमांक : राप्राशिप/जय/आईईडी/संदर्भ कक्ष जॉब चार्ट/2017–18/ 8349 दिनांक 27/10/17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, रामाशिप, जयपुर
4. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा बीकानेर, राजस्थान।
6. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त, राप्राशिप/रामाशिप,जयपुर।
7. निजी सहायक, वित्त नियत्रंक,राप्राशिप,जयपुर।
8. उपायुक्त (संस्थापन/आईईडी/शाला दर्शन/शाला दर्पण) राप्राशिप/रामाशिप,जयपुर।
9. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान/रमसा।
10. रक्षित पत्रावली।

(जस्सा राम चौधरी)
अतिरिक्त आयुक्त

www.rajteachers.com